प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 19 फरवरी, 2025

विषय:- जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सदाकत हुसैन पुत्र श्री मो0 सईद उर्फ लाला, निवासी जनपद-अमेठी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-19923/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-07-06-2023) दिनांक-16-06-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सदाकत हुसैन (बन्दी संख्या-115/2012) पुत्र श्री मो0 सईद उर्फ लाला, ग्राम-ढ़ोढ़नपुर, थाना-मोहनगंज, जनपद-अमेठी का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 19.06.1996 को जमीनी रंजिश में बंदी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बन्दूक से गोली मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 05 व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-550/1996, 72/1997, भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा० विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-04, रायबरेली के आदेश दिनांक 30.06.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी के ऊपर 01 अन्य विचाराधीन वाद लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 24.09.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 माह, 23 दिन तथा 17 वर्ष, 05 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित किया गया है यदि समयपूर्व रिहाई किया जाता है तो इसके द्वारा पुनः अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है, का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 19.06.1996 को जमीनी रंजिश में बंदी द्वारा अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बन्दूक से गोली मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या करने एवं 05 व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सदाकत हुसैन पुत्र श्री मो० सईद उर्फ लाला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सदाकत हुसैन (बन्दी संख्या-115/2012) पुत्र श्री मो0 सईद उर्फ लाला, निवासी जनपद-अमेठी को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

मदन मोहन

विशेष सचिव।

संख्या- 137/2025/2623(1)/22-2-2023 तद्दिनांक..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, रायबरेली।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार द्विवेदी

संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 137/2025/2623/22-2-2023-17(877)/2023

दिनांक: 19 फरवरी, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सदाकत हुसैन (बन्दी संख्या-115/2012) पुत्र श्री मो0 सईद उर्फ लाला, ग्राम-ढ़ोढ़नपुर, थाना-मोहनगंज, जनपद-अमेठी का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 19.06.1996 को जमीनी रंजिश में बंदी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बन्दूक से गोली मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 05 व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-550/1996, 72/1997, भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 307/149 के अन्तर्गत मा० विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-04, रायबरेली के आदेश दिनांक 30.06.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी के ऊपर 01 अन्य विचाराधीन वाद लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 24.09.2022 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 माह, 23 दिन तथा 17 वर्ष, 05 माह, 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित किया गया है यदि समयपूर्व रिहाई किया जाता है तो इसके द्वारा पुनः अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है, का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा दिनांक 19.06.1996 को जमीनी रंजिश में बंदी द्वारा अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बन्दूक से गोली मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या करने एवं 05 व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सदाकत हुसैन पुत्र श्री मो० सईद उर्फ लाला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।